



1	प्रधानाचार्य, राआउमावि दुडिया, सुवाणा, भीलवाड़ा	श्रीमती हेमलता पारीक, व्या. राआउमावि दुडिया, सुवाणा, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
2	प्रधानाध्यापक, रामावि खेड़ली ब्राहमण, भरतपुर	श्री जगमोहन लाल, प्रधानाचार्य, राउमावि सलेमपुर कलां, भरतपुर	भुसावर
3	प्रधानाध्यापक, रामावि परसवारा, भरतपुर	श्री अशोक कुमार पाराशर, प्रधानाचार्य, राउमावि डहरा, भरतपुर	नदबई
4	प्रधानाध्यापक, रामावि मौसेरी, बाड़मेर	श्री गांधीराम, व्या. राउमावि रेडाना, बाड़मेर	रामसर


 वित्तीय सलाहकार,
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/17-18/
 प्रतिलिपि:

दिनांक: 30.04.2019

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।


 वरिष्ठ लेखाधिकारी
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा निम्नांकित विद्यालयों के लिए आहरण वितरण अधिकार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 03 (ए) के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे, में निम्नांकित आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	जारी आदेश की दिनांक	जारी आदेश की क्र.सं	जारी आदेश की कॉलम संख्या	संशोधन
1	25.04.2019	1	3 व 4	श्री लोकेन्द्र कुमार पाटीदार, व्या. राबाउमावि अरथुना, बांसवाड़ा के स्थान पर श्री केशवचन्द्र बामनिया, प्रधानाचार्य, राउमावि सागवा, बांसवाड़ा संशोधित पढा जावे । उपकोष गढी के स्थान पर उपकोष सज्जनगढ संशोधित पढा जावे ।


शेष विवरण मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगे ।


वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/संशोधन/18-19/
प्रतिलिपि:

दिनांक : 30.04.2019

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।


वरिष्ठ लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर